कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश क्रमांक / एफ—5 / 900 / 2019 / 10—11 / ೨६२ भोपाल, दिनांक १२-३-२० प्रति,

उप संचालक, बफर जोन वनमण्डल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला म0प्र0।

विषय:— बालाघाट जिले के अन्तर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला के बफर जोन में अतरचुहा से बाजघुंदी मार्ग उन्नयन हेतु 0.96 हेक्टेयर वन भूमि म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत।

-संदर्भः— क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला का पत्र क्रमांक / मा०चि० / 2876 दिनांक 22.10.2019

-0-

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु इस कार्यालय को क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला एवं आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी नवीन गाइड लाईन, 2019 अनुसार बालाघाट जिला नक्सल प्रभवित (LWE) में होने के कारण 05 हेक्टेयर तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है। राज्य शासन की ओर से उपरोक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:—

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- NPV: Net Present Value(NPV) for the 0.96 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006- FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.
- 3- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- 4- No felling of trees shall be done.
- 5- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).

- 6- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. This certificate should be uploaded on portal with compliance report.
- 7- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 8- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 9- No labour camp shall be established on the forest land.
- 10- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 11- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 12- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 13- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 14- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 15- Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 16- No work shall be done during night.
- 17- राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ–एन.ओ. / 7–9–2010–एनटीसीए (पार्ट) नई दिल्ली दिनांक 01.10.2019 की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाये।
- 18-प्रकरण में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के सभी प्रावधानों, प्रमुखता 38 (0)(1) (बी) तथा 38 (0)(1) (जी) का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजा जावेगा।
- 19-एन.टी.सी.ए. की ईको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पेक्ट ऑफ लीनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन वॉइल्ड लाईफ पुस्तक के अनुसार मिटिगेशन मेजर्स के मानक मापदण्डों प्रमुखतः मिटिगेशन साईज तथा मिटिगेशन डेंसिटी का अक्षरशः पालन किया जाये।
- 20-इस कार्य से वनक्षेत्र एवं वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियां की जायें।
- 21-The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्तानुसार वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण पत्र प्राप्त करें एवं एन.पी.व्ही. की राशि आवेदक संस्थान से ऑनलाईन कैम्पा मद में जमा करावे। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक संस्थान से कराकर पालन प्रतिवेदन वेब पोर्टल पर अपलोड कराने के उपरांत इस कार्यालय को भिजवाये। जब तक इस कार्यालय द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नहीं की जाती है तब तक आवेदक संस्थान को कार्य करने / क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति जारी न की जावे।

(सुनील अग्रवाल) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 900 / 2019 / 10-11 / 96 है प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक ७-३-२०

- 1— क्षेत्र संचालक, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला, मध्यप्रदेश।
- 2— महाप्रबंधक, म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक—1, बालाघाट, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जीछीका अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध) मध्य प्रदेश, भोपाल